# न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 11/2017
दायर दिनांक – 12/01/2017
निर्णय दिनांक – 19/06/2018

अनवान

1. चन्दा पत्नि प्रकाश शर्मा सासेंरा तहसील रेलमगरा
2. गीता पत्नि मीठुलाल शर्मा सासेंरा तहसील रेलमगरा

वादीगण

बनाम

1. मांगीलाल पिता हरीराम गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
2. चांदी बाई पत्नि मांगीलाल गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
3. सुरेश पिता मांगीलाल गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
4. सुखलाल पिता हरिराम गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा

प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 188 रा.का.अ.**

:: निर्णय ::

वादी की ओर से वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सासेंरा मे वादी गण के स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 191 रकबा 1–00 बीघा व आराजी संख्या 195 रकबा 1–11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2–11 बीघा भूमि स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपी साथ सलंग्न है उक्त भूमि वादीगण ने आज से करीब 4 वर्ष पूर्व भूमि के खातेदार श्रीमति देउ बाई बेवा गणेश गाडरी निवासी सासेंरा से विक्रय प्रतिफल राशि 3,25,000 रूपये किमत अदा कर क्रय की , जिस संबध मे भूमि के विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 31/10/2012 को उपपंजीकय कार्यालय रेलमगरा मे नियमानुसार निष्पादित करवाया गया। प्रमाण मे उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है उक्त भूमि पर आधिपत्य वादीगण का विक्रय की तिथी से ही बिना किसी रोक टोक के निरन्तर निर्वघ्न साधिकार चला आ रहा है। तथा वादीगण ही अपनी सुविधानुसार उक्त भूमि काश्त करते चले आ रहे है। किन्तु प्रतिवादीगण जो कि भूमि के पडोसी है , बिना किसी कारण के वादीगण को अपनी भूमि के उपयोग उपभोग करने से वंचित करने की ऐलानिया धमकिया दे रहे है तथा बार बार वादीगण को यह धमकियां देते है कि उक्त भूमि को अब हम लोग बोयेगे, साथ ही प्रतिवादीगण चुंकि एक ही परिवार के झगडालु किस्म के बदमाश व्यक्ति है जो ताकत के बल पर वादीगण को अपने स्वामित्व

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आधिपत्य की उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण को वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित करना चाहते है। इस हेतू उक्त वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृति के खुंखार व्यक्ति है जो बिना किसी वैध अधिकार के वादीगण को अपने ही स्वामित्व आधिपत्य की भूमि से बेदखल करने व जबरन कब्जा करने पर उतारू है। जिससे अगर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये प्रतिबंधित नही किया गया तो वादीगण को गंभीर अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किसी भी रूप मे जानी असम्भव है। वादीगण द्वारा दिनांक 14/12/2016 को प्रतिवादीगण को वादीगण के उपयोग उपभोग मे कोई दखलन्दाजी कारित नही करने बाबत् कहा गया तो प्रतिवादीगण ने जबरन वादीगण की भूमि पर कब्जा करने की धमकिया दी, जिससे वादीगण का वाद हेतूक दिनांक 14/12/2016 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम सासेरां तहसील रेलमगरा की कृषि आराजी संख्या 191 रकबा 1–00 बीघा तथा आराजी संख्या 195 रकबा 1–11 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 2–11 बीघा भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की कोई बाधा, हस्तक्षेप, या दखलन्दाजी कारित नही करे एवं न ही अन्य किसी से करावें इस हेतू प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिय समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नहीं किये जानें से जवाब का अवसर बंद किया जाता है। पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प सांसेरा पर रखी गई। वादी उपस्थित प्रतिवादी बावजूद सूचना के अनुपस्थित। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी को सूना गया। तो वादी ने बताया कि वादग्रस्त भूमि देउ बेवा गणेश गाडरी से जरीये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 31.10.2012 द्वारा की गई परन्तु प्रतिवादीगण उक्त भूमि से बेदखल कर जबरन कब्जा करना चहा रहे है जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें। कि वादीगण की भूमि में इसी प्रकार अपूर्णिय क्षति कारित नहीं करावें।

अतः वादीयागण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर ग्राम सांसेरा की आराजी संख्या 191 , 195 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी कारित न करें एवं न ही अन्य किसी से करावे। इसी अनुरूप डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को कैम्प सांसेरा में सूनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

मूल वाद मे डिक्री ( आदेश 20 नियम 6 व 7 )

**न्यायालय सहायक कलक्टर ( उपखण्ड अधिकारी ) रेलमगरा जिला राजसमन्द**

पीठासीन अधिकारी :– शक्ति सिंह भाटी आर०ए०एस०

**राजस्व वाद संख्या :– 11/2017**

**अनवान**

वादी पक्ष :–

1. चन्दा पत्नि प्रकाश शर्मा सासेंरा तहसील रेलमगरा
2. गीता पत्नि मीठुलाल शर्मा सासेंरा तहसील रेलमगरा

**बनाम**

प्रतिवादीपक्ष :–

1. मांगीलाल पिता हरीराम गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
2. चांदी बाई पत्नि मांगीलाल गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
3. सुरेश पिता मांगीलाल गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा
4. सुखलाल पिता हरिराम गाडरी सासेंरा तहसील रेलमगरा

दावा :– स्थाई निषेधाज्ञा
वादी की ओर से :– अधिवक्ता आर.एल.साहू
प्रतिवादी की ओर से :– अधिवक्ता एस.एल.जाट

में इस आशय मे दिनांक 19.06.2018 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीयागण का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण के स्वीकार किया जाकर ग्राम सांसेरा की आराजी संख्या 191,195 में प्रतिवादीगण किसी प्रकार से वादी के उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी कारित न करें एवं न ही अन्य किसी से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

आज दिनांक 19/06/2018 को न्यायलय की मोहर एवम् मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(शक्ति सिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा